




केदारस्युँ गाउँपालिका

आर्थिक ऐन, २०७९



केदारस्युँ गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

देउरा बझाङ्ग

२०७९

केदारस्युँ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९

गाउँसभाबाट पारित मिति : २०७९।०३।१९

प्रस्तावना : केदारस्युँ गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने, छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

नेपालको संविधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोजिम केदारस्युँ गाउँ सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “आर्थिक ऐन, २०७९” रहेको छ ।

(२) यो ऐन २०७६ साल श्रावण १ गतेदेखि केदारस्युँ गाउँपालिका क्षेत्रमा लागू हुनेछ ।

२. सम्पत्ति कर : गाउँपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूचि (१) बमोजिम एकिकृत सम्पत्ति कर/घरजग्गा कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

३. भूमि कर (मालपोत) : गाउँपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूचि (२) बमोजिम भूमि कर (मालपोत) लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

४. घर बहाल कर : गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएकोमा अनुसूचि (३) बमोजिम घर जग्गा बहाल कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

५. व्यवसाय कर : गाउँपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूँजिगत लगानी र आर्थिक कारोवारका आधारमा अनुसूचि (४) बमोजिम कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

६. जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर : गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडिबुटी, वनकस, कवाडी माल र प्रचलित कानुनले निषेध गरेको जीवजन्तु बाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाला जस्ता बस्तुको व्यवसायिक कारोवार गरेवापत अनुसूचि (५) बमोजिमको कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

७. सवारी साधन कर : गाउँपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता भएका सवारी साधनमा अनुसूचि (६) बमोजिम सवारी साधन कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ । तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ ।

८. विज्ञापन कर : गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापनमा अनुसूचि (७) बमोजिम विज्ञापन कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ । तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ ।

९. मनोरन्जन कर : गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने मनोरन्जन व्यवसाय सेवामा अनुसूचि (८) बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ । तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ ।

१०. बहाल बिटौरी शुल्क : गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने आफूले निर्माण, रेखदेख वा संचालन गरेका अनुसूचि (९) मा उल्लेख भए अनुसार हाट बजार वा पसलमा सोही अनुसूचिमा भएको व्यवस्था अनुसार बहाल बिटौरी शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

११. पार्किङ शुल्क : गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ उपलब्ध गराए बापत अनुसूचि (१०) बमोजिम पार्किङ शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

१२. ट्रेकिङ, कोयोकिङ, क्यानोइङ्ग, बन्जी जम्पिङ्ग, जिपफ्लायर र च्याप्टीङ्ग शुल्क : गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र ट्रेकिङ, कोयोकिङ, क्यानोइङ्ग, बन्जी जम्पिङ्ग, जिपफ्लायर र च्याप्टीङ्ग सेवा वा व्यवसाय संचालन गरेबापत अनुसूचि (११) बमोजिम शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

१३. सेवा शुल्क, दस्तुर : गाउँपालिकाले निर्माण, संचालन वा व्यवस्थापन गरेका अनुसूचि (१२) मा उल्लिखित स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचिमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

१४. पर्यटन शुल्क : गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने पर्यटकहरूबाट अनुसूचि (१३) मा उल्लिखित दरमा पर्यटन शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ । तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ ।

१५. कर छुट : यस ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई कुनैपनि किसिमको कर छुट दिइनेछैन ।

१६. कर तथा संकलन सम्बन्धी कार्यविधि : यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धी कार्यविधि गाउँपालिकाले तोके अनुसार हुनेछ ।

राजस्व गरिएका करका दायरा तथा दररेटहरू

अनुसुची-१

(ऐनको दफा (२) सँग सम्बन्धित)

गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रलगाउन सक्ने सम्पत्ति करको दर

| | | |
|---|---|----------|
| १ | एकिकृत सम्पत्ती कर | |
| | केदारस्युँगाउँपालिकाले एकिकृत सम्पत्तीको बारेमा विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गरेर नियमानुसार हुनआउने रकमकायम गरिने छ । एकिकृत सम्पत्ती कर लागु नभए सम्म नियमानुसार बुँदा नं. २ मा उल्लेख भएबमोजिम कर लाग्नेछ । | |
| २ | घर कर (प्रतिवर्ष) | |
| | क) केदारस्युँ गाउँपालिका स्थानीय बजार सडक छेउका पक्कीघर | रु.१५०।- |
| | ख) केदारस्युँ गाउँपालिका स्थानीय बजार सडक छेउकाकच्चीघर | रु.७५।- |
| | अन्यबस्ती प्रतिघर | |
| | क) ढलान भएको घर | रु ७५।- |
| | ख) सिलेट वाजस्ताको छानाभएको घर | रु २५।- |
| | प्रति जग्गा प्रतिघर | |
| | क) सडक छेउका घर पक्की | रु ७५० |
| | ख) सडक छेउका घर कच्ची | रु ३७५ |
| | ग) सडक छेउका घर टहरा | रु २२५ |
| | घ) अन्य वस्ती घर पक्की | रु ३७५ |
| | ड) अन्य वस्ती घर कच्ची | रु १९० |
| | च) अन्य वस्ती घर टहरा | रु ११० |

अनुसुची-२
(ऐनको दफा (३) सँग सम्बन्धित)
गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने भूमिकर (मालपोत) करको दर

| | | | |
|----|---|------|-------|
| १. | भूमि कर (प्रतिवर्ष) | | |
| | क) गाउँपालिकाको स्थानीय बजारहरुमा सडकले छोएको जग्गाको प्रति घडेरी (१ रोपनीभन्दाकम) जग्गा मूल्याङ्कन रकमको | | १% |
| | ख) सडकले छोएको जग्गाप्रति घडेरी (१ रोपनी भन्दा माथी) | | १ % |
| | ग) शाखा सडक (ग्राभेल)ले छोएको जग्गा (१ रोपनी भन्दाकम) | | ०.५०% |
| | घ) अन्यभित्री बाटो प्रति घडेरी | | ०.२५% |
| २. | मालपोत कर (प्रति रोपनी) | | |
| | जग्गाको किसिम | खेत | पाखो |
| | क) अब्बल | ४०१- | ३५१- |
| | ख) दोयम | ३५१- | २५१- |
| | ग) सिम | ३०१- | २०१- |
| | घ) चाहार | २०१- | १५१- |

अनुसुची-३
(ऐनको दफा (४) सँग सम्बन्धित)
गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने बहाल गरेको दर

| | |
|----|--|
| १. | बहाल कर गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका घर, ग्यारेज, पसल, गोदाम, टहरा, छप्पर, कारखाना, उद्योग, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंशीक रूपमा बहाल दिएमा घर धनीबाट बहाल रकम को १०% बहाल कर लिइने छ । |
|----|--|

अनुसूची-४

(ऐनको दफा(५)सँग सम्बन्धित)

गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने व्यवसाय करको दर

| | | |
|----|---|------------|
| १. | व्यवसाय कर दर रेट (प्रतिवर्ष) | |
| | व्यापारिक वस्तु | |
| | १.१ सूतीजन्य, ज्वेलरी, भिडीयो क्यासेट रिकर्डर प्लेयर को इलेक्ट्रोनिक व्यापारमा | |
| | क) खुद्रा व्यापारमा | रु. ८००१- |
| | ख) थोक व्यापारमा | रु. ४१००१- |
| | १.२ होटल व्यवसाय | |
| | क) साना चिया होटल | रु.५५०१- |
| | ख) मझौला होटल | रु.८००१- |
| | ग) ठूला होटल | रु.२०००१- |
| | १.३ मदिरा व्यवसाय | |
| | क) खुद्रा व्यापारमा | रु.५०००१- |
| | ख) थोक व्यापारमा | रु.१००००१- |
| | १.४ कम्प्युटर, विद्युतिय सामान, क्यामरा, टेलिभिजन, रेडियो, मोबाइल, कार्पेट, पेट्रोलियमपदार्थ जस्तावस्तुको व्यापारमा | |
| | क) खुद्रा व्यापारमा | रु.१०००१- |
| | ख) थोक व्यापारमा | रु.४०००१- |
| | १.५ भाँडापसल | रु.१०००१- |
| | १.६ हार्डवेयर/निर्माण सामग्री पसल | रु.२५००१- |
| | १.७ कुटानी पिसानी मिल | रु.२०००१- |
| | १.८. दैनिकउपभोग्यवस्तु, सुतिकपडा, फेन्सी स्टोर आदिको व्यापारमा | |
| | क) खुद्रा व्यापारमा | रु.१०००१- |
| | ख) थोक व्यापारमा | रु.२०००१- |
| | १.९ सवारी साधानविक्रेता | |
| | क) खुद्रा व्यापारमा | रु.२५००१- |
| | ख) थोक व्यापारमा | रु.५०००१- |
| | १.१० फुटपाथ व्यापारी प्रति महिना प्रतिमहिना | रु.३००१- |
| | १.११ घुमन्ते व्यापारी प्रतिमहिना | रु.५००१- |
| | १.१२ घुमन्ते थोक व्यापारी प्रति महिना | रु.१०००१- |
| | १.१३ सामान हुवानी कर्ता कम्पनी प्रति महिना | रु.१५००१- |
| २. | विशेषज्ञ परामर्श तथा अन्य व्यवसायिक कर प्रतिवर्ष | |
| | २.१ चिकित्सक | रु.१५००१- |
| | २.२ कविराज | रु.१०००१- |
| | २.३ इन्जिनियर | रु.१५००१- |
| | २.४ कानूनव्यवसायी | रु.१५००१- |
| | २.५ लेखापरीक्षक | |

| | | |
|-----|---|----------------------------------|
| | “क”श्रेणी | रु.५०००१- |
| | “ख”श्रेणी | रु.३०००१- |
| | “ग”श्रेणी | रु.२०००१- |
| | २.६ दन्त चिकित्सक | रु.१०००१- |
| | २.७ मेडिकलफार्मसी एग्रीभेट | रु.१०००१- |
| | २.८ बिमाए जेन्ट | रु.१०००१- |
| | २.९ अनुसन्धानकर्ता तथा परामर्शदाता | रु.१०००१- |
| | २.१० कम्प्युटर एनालिस्ट तथा प्रोग्रामर | रु.१०००१- |
| ३. | उत्पादनमूलकउद्योग कोरा माल, अर्ध प्रशोधितमाल, खेर गैरहेको माल सामान वा अनयमाल सामान प्रयोग वा प्रशोधन गरी माल सामानउत्पादन गर्ने उद्योग व्यवसायलाई प्रतिवर्ष | रु.२५००१- |
| ४. | उर्जामुलक जलश्रोत, वायु, सौर्यशक्ति, प्राकृतिक तेल, ग्याँस/वायोग्याँस तथा अन्य श्रोतबाटउर्जा पैदा गर्ने उद्योग व्यवसायमाप्रतिवर्ष | रु.२५००१- |
| ५. | कृषि, पशु तथा वन पैदावार जन्य प्रतिवर्ष | |
| | क) कृषितर्फ - तरकारी, नर्सरी, अन्यफलफूल | रु.५००१- |
| | ख) पशु पैठारी तथानिकासी रागा, भैसि प्रतिगोटा | रु ८००१- |
| | ग) वन तर्फ सामुदयिक वन, निजी वन, कबुलियती वन | रु.६००१- |
| | घ) जडीबुटी संकलन तथा निकासी प्रति गाडी | रु ३५००१ |
| ६. | खनिजउद्योग | |
| | क) खनिजपदार्थ उत्खनन तथा प्रशोधन | रु.१५००१- |
| ७. | पर्यटनउद्योग | |
| | पर्यटक आवास, होटेल, रिसोर्ट, ट्राभल एजेन्सी, स्कीङ्ग, ग्लाइडिङ्ग, वाटर स्पाफ्टीङ्ग, पोनी ट्रेकिङ्ग, पदयात्रा, हट एयर बलुनिङ्ग, प्यारा सेलिङ्ग, गल्फ कोर्ष, पोलो, आरोहण, आदिउद्योग व्यवसायमा प्रतिवर्ष | रु.२०००१- |
| ८. | सेवाउद्योग | |
| | छापाखाना, परामर्श सेवा, चलचित्र व्यवसाय, सार्वजनिक परिवहन व्यवसाय, फोटोग्राफि, भिडीयो प्रयोगशाला, केबुलकार सेवा, शीतभण्डार आदि उद्योग व्यवसायमा प्रतिवर्ष | रु. २५००१- |
| ९. | निर्माणउद्योग | |
| | “घ” वर्ग इजाजतपत्र | रु.५५००१- |
| | “घ” वर्ग प्रति वर्षनविकरण (असोज मसान्त पछि थप २५ प्रतिशत जरिवाना) | रु ३५००१- |
| | सडक, पुल, रोपवे, रेलवे, ट्रलिवस, टनेल, फ्लाइङ्गब्रिज तथा औद्योगिक व्यापारिक एवं आवास कम्प्लेक्सन आदि निर्माण गरि सञ्चालन गर्ने उद्योग व्यवसायमा प्रतिवर्ष | रु.५०००१- |
| | करसर, इटा, सिमेन्ट बलक उद्योग व्यवसायी | रु १००००१- |
| | साना उद्योग दर्ता तथा सिफारिस र प्रमाण पत्र | उद्योग दर्ता कार्यविधि बमोजिम |
| १०. | सञ्चार सेवा (प्रतिवर्ष) | |

| | | |
|------------|---|------------|
| | क) निजीक्षेत्रको हुलाक सेवा, | रु.८००१- |
| | ख) निजीक्षेत्रको टेलिफोन, फ्याक्स, फोटोकपी, मोबाइलफोन, इमेल इन्टरनेट, रेडियो, पेजिङ्ग आदिमा | रु.८००१- |
| | ग) कुरियर सेवा | रु.७५०१- |
| | घ) छपाई तथाप्रकाशन | रु.१५००१- |
| | ड) स्टेशनरी/पुस्तकालय | रु.८००१- |
| | च) एफ. एम. रेडीयो | रु.४०००१- |
| ११. | वित्तीय सेवा | |
| | ११.१ नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको बाहेक आर्थिक कारोबार गर्ने बाणिज्य बैंक | |
| | “क”वर्ग बैंक प्रतिवर्ष | रु.५५००१- |
| | “ख”वर्ग बैंक प्रतिवर्ष | रु.४५००१- |
| | “ग”वर्ग वित्तीय संस्थाहरु प्रतिवर्ष | रु.३५००१- |
| | “घ” वर्ग लघुवित्त तथा सहकारी संस्थाहरु प्रतिवर्ष | रु.२५००१- |
| | ११.२ आर्थिक कारोबार समेत गर्ने वित्तीयकम्पनी प्रतिवर्ष | रु.१००००१- |
| | ११.३ वित्तीय कम्पनिका शाखा कार्यालय | रु.२५००१- |
| | ११.४ बिमा कम्पनी प्रतिवर्ष | रु.५०००१- |
| | ११.५ विदेशी मुद्रा सटही प्रतिवर्ष | रु.१०००१- |
| | ११.६ मनि ट्रान्सफर सेवा प्रतिवर्ष | रु. २०००१- |
| १२. | स्वास्थ्य सेवा (प्रतिवर्ष) | |
| | क) गैर सरकारी अस्पताल | रु.५०००१- |
| | ख) नर्सिङ्ग होम | रु.५०००१- |
| | ग) क्लीनि कल्याब | रु.२०००१- |
| | घ) मेडिकल | रु.१५००१- |
| १३. | शिक्षा सेवा (प्रतिवर्ष) | |
| | १३.१ निजी क्षेत्रका स्कुल, क्याम्पस, विश्वविद्यालय | |
| | क) प्रा.वि.स्तर | रु.२५००१- |
| | ख) नि.मा.वि.स्तर | रु.५०००१- |
| | ग) मा.वि.स्तर | रु.७०००१- |
| | घ) क्याम्पस स्तर | रु.९०००१- |
| | ड) प्राविधिक शिक्षालय | रु ९०००१ |
| | १३.२ तालिम तथा अध्ययन, अनुसन्धान केन्द्र | रु.२०००१- |
| | १३.३ टाइपिङ्ग, कम्प्युटर प्रशिक्षण तथा भाषाप्रशिक्षण संस्था | रु.२५००१- |
| | १३.४ अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था | रु.३५००१- |
| | १३.५ राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था | रु.२५००१- |
| | १३.६ ट्युसन तथा कोचिङ्ग सेन्टर | रु.१५००१- |
| | १३.७ परामर्श सेवा (सुचीकृती) | रु.२५००१- |
| | १३.७ परामर्श सेवा (नविकरण) | रु.१०००१- |
| १४. | मर्मत सम्भार सेवा (प्रतिवर्ष) | |

अनुसुची-१२

(ऐनको दफा(१३)सँग सम्बन्धित)
गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रलगाउन सक्ने सेवाशुल्क दर

| | | | |
|----|--|-----------------------|-----------------------------|
| १. | घर नक्सापास सम्बन्धी | | |
| | क) स्थानीयबजार क्षेत्र भवनप्रति वर्ग फिटको (प्रति तला तथा प्रति वर्ग फिटको रु १ का दरले थपहुनेछ) | | रु ४.५०१- |
| | ख) शाखा सडक भित्रका भवनको भवनप्रतिवर्ग फिटको | | रु २.५०१- |
| | ग) अन्य बस्तीक्षेत्र भवनप्रति वर्ग फिटको | | रु २.५०१- |
| २. | योजना निर्माण वा कार्य सम्पन्न सिफारिस | योजना सम्झौता सिफारिस | योजना सम्पन्न सिफारिस |
| | क) ५ लाख सम्मको लागि | रु.५००१- | रु.५००१- |
| | ख) ५लाख देखि १० लाख सम्मका लागि | रु.५००१- | रु.१०००१- |
| | ग) १० लाख देखि १५ लाख सम्मका लागि | रु.५००१- | रु १५००१ |
| | घ) १५ लाख देखि २० लाख सम्मकालागि | रु.५००१- | रु २०००१ |
| | ङ) २० लाख भन्दामाथी | रु.५००१- | रु ५०० । प्रति १० लाखकादरले |
| ३. | संघ संस्थादर्ता सिफारिस | | रु.१०००१- |
| ४. | घर जग्गा मूल्याङ्कन | | |
| | क) विद्यार्थीको लागि(रु.१ करोड भन्दाकमको लागि) | | रु. २०००१- |
| | ख) अन्यव्यक्तिको हकमाप्रतिकरोड | | रु. ५०००१- |
| | ग) र दुवैको हकमाथपप्रति करोड | | रु. १०००१- |
| ५. | व्यावसायिक संघ संस्थादर्ता सिफारिस | | |
| | क) तीनलाख रुपैया सम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने व्यवसायी | | रु.२५०१- |
| | ख) पाँचलाखदेखिदशलाख रुपैया सम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने व्यवसायी | | रु.६००१- |
| | ग) दशलाख रुपैया भन्दामाथीको वार्षिक कारोबार गर्ने व्यवसायी | | रु.१५००१- |
| ६. | सरसफाई कर (प्रतिमहिना) | | |
| | क) सडक किनाराका मुख्य होटल पसल | | रु.१००१- |
| | ख) सडक किनाराका संगै जोडिएर बनेका घर पसल | | रु.७०१- |
| | ग) गल्लीका होटल तथा पसल | | रु.५०१- |
| ७. | चार किल्ला प्रमाणित दस्तुर: | | |
| | (क) जयपृथ्वी राजमार्गले छोयको (१०० मि. दायाबाया | | रु.१०००१- |
| | (ख) अन्य क्षेत्रको | | रु.४००१- |
| ८ | सिफारिस तथाअन्य सेवाशुल्क | | |

| | |
|--|--|
| क) साधारण व्यक्तिगत सिफारिस दस्तुर | रु.१००१- |
| ख) समूह वा संस्थागत सिफारिस दस्तुर | रु.५००१- |
| ग) घर बाटो प्रमाणित | रु.४००१- |
| घ) जग्गा सम्बन्धी अंशवण्डा नामसारी सिफारिस | रु.५००१- |
| ङ) घर भएको सिफारिस दस्तुर | रु.१००१- |
| च) मुचुल्का प्रमाणित | रु.२००१- |
| छ) पञ्जीकरण | |
| जन्मदर्ता | रु.२००१- |
| मृत्युदर्ता | रु.२००१- |
| विवाहदर्ता | रु.३००१- |
| बसाइसराईदर्ता | रु.२००१- |
| सम्बन्ध विच्छेद दर्ता | रु.१५००१- |
| जन्म, मृत्यु, बसाइ सराइ, विवाह र सम्बन्ध को प्रतिलिपी | रु. ५००१- |
| ज) नाता प्रमाणित | रु.२५०१- |
| झ) नागरिकता सिफारिस | रु.५०१- |
| ञ) नाबालक परिचयपत्र सिफारिस | रु.५०१- |
| ट) कृषि सिफारिस | रु.५००१- |
| ठ) समूहदर्ता | रु.१०००१- |
| ड) ठेक्का पट्टा सिफारिस | रु.५०००१- |
| ढ) मर्दिरा व्यवसाय सञ्चालन सिफारिस | रु.३५०००१- |
| ण) वैदेशिक प्रयोजनको लागि | |
| नाता प्रमाणित | रु.५००१- |
| आम्दानी प्रमाणित जम्मा हुनआउने आम्दानीको | ०.०५% |
| त) प्रचलित कानून तथा प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिमका अन्य सिफारिस वा प्रमाणित | |
| संस्थागत | रु.१०००१- |
| व्यक्तिगत | रु.२००१- |
| थ) खानेपानी मुहानदर्ता सिफारिस | जलस्रोत कार्यविधि र जलस्रोत ऐन अनुसार |